

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 76]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी 2011—फाल्गुन 6, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्र. एफ-24-9-2010-एक-10.—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन 2-3 दिसम्बर 1984 की दरमियानी रात को यूनियन कार्बाइड (इंडिया) लिमिटेड की भोपाल इकाई से हुई जहरीली गैस का रिसाव की घटना की न्यायिक जांच के लिए आयोग के गठन से संबंधित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 25 अगस्त 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की कण्डिका 4 के अंतिम वाक्यांश "इस अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक से 6 माह के भीतर" के स्थान पर "दिनांक 24-2-2012 तक" स्थापित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्र. एफ-24-9-2010-एक-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की उक्त समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 25 फरवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

Bhopal, the 25th February 2011

No. F. 24-9-2010-I-10.— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (No. 60 of 195), the State Government hereby makes the following amendment in this Department's Notification of even No. dated 25th August 2010 regarding the constitution of Inquiry Commission in the Whereas on the midnight of 2nd/3rd December 1984 an incident of toxic gas leakage from Union Carbide (India) Ltd. Plant, Bhopal namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in last sentence of para 4 for the words “within six months of the date of publication of this Notification” the words “upto 24-2-2012” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

DASHRATH KUMAR, Dy. Secy.